न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु सिंह कुन्तल आर०ए०एस

वाद पत्र संख्या– 51/2024

1. लवीश रावत पुत्र ओमप्रकाश रावत उम्र 26 साल
2. राधिका रावत पुत्री ओमप्रकाश रावत उम्र 20 साल

समस्त जाति रावत नि० 224,ओमशिव कॉलोनी झोटवाडा जयपुर राज०।

वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जोबनेर।

प्रतिवादी

वाद बाबत् घोषण, दुरूस्ती नाम अंतर्गत धारा 88 रा०टी०ऐ०

उपस्थितः– 1. श्री दिव्यराज वीर, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।
2. सरकार पैरोकार

निर्णय दिनांकः– 29.08.2024

वादीगण द्वारा वाद बाबत् घोषण, दुरूस्ती नाम अंतर्गत धारा 88 रा०टी०ऐ० इस आशय का पेश किया गया है कि वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खाता सं० नया 347 की आराजी ख०न० 473 रकबा 1.6565 है०, ख०न० 478/2 रकबा 1.4162 है० व ख०न० 483 रकबा 0.4046 है० व ख०न० 484/1 रकबा 1.2266 है० किता 4 कुल रकबा 4.7039 है० वाकै ग्राम बोबास पटवार हल्का बोबास भू०अभि०नि०क्षेत्र आसलपुर तहसील जोबनेर जिला जयपुर मे स्थित है जिसमे वादी सं01 3/16 हिस्सा व वादी सं02 का 1/16 हिस्सा है तथा आराजी खाता सं० नया 348 की आराजी ख०न० 582 रकबा 0.7461 है० वाकै ग्राम बोबास पटवार हल्का बोबास भू०अभि०नि०क्षेत्र आसलपुर तहसील जोबनेर जिला जयपुर मे वादी सं01 का 3/64 हिस्सा वादी सं02 का 1/64 हिस्सा है। प्रार्थी को उक्त आराजीयात विरासत से प्राप्त हुई है।

वादीगण को उक्त आराजीयात विरासत से प्राप्त हुई है। जब विरासत का नामांतकरण खोला गया तब वादीगण नाबालिंग थे तथा बचपन मे वादी सं01 को लोकेश के नाम से पुकारते थे तथा वादी सं02 को धनेशरी के नाम से पुकारते थे जिसके कारण जब वादीगण के पिता स्व0ओमप्रकाश का स्वर्गवास हो गया और विरासत का नामांतकरण खोला तब वादीगण का घर पर बोलचाल का नाम

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

लोकेश व धनेशरी के नाम नामांतकरण सं0 1176 मे अंकित करते हुये उसकी अनुसार राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी मे दर्ज कर दिया गया। जिसके कारण वादीगण का यही नाम जमाबंदी राजस्व रिकोर्ड मे चला आ रहा है। जबकि वादी सं01 का रिकार्डेड वास्तविक सही नाम लवीश रावत व वादी सं02 का रिकोर्डेड वास्तविक सही नाम राधिका रावत है।

वादीगण के समस्त शैक्षणिक रिकोर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आधारकार्ड मे भी वादी सं01 का नाम लवीश रावत व वादी सं02 का नाम राधिका रावत ही अंकित किया हुआ है। वादीगण की उपरोक्त खातेदारी मे बचपन का नाम चले जाने से वादीगण को अपनी भूमि को उन्नत व विकसित करने मे भारी परेशानियो का सामना करना पड रहा है। इसलिए वादीगण को अपनी उपरोक्त खातेदारी मे नाम दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक हुआ है। वादीगण ने अपनी वाद पत्र के मद नं0 1 मे वर्णित आराजीयात मे नाम दुरूस्ती करने के लिए प्रतिवादी तहसीलदार जी से दिनांक 20.05.2024 को निवेदन किया तो उनके द्वारा न्यायालय से आदेश लाने की हिदायत दी इसलिए यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार जोबनेर द्वारा जवाब रिपोर्ट इस आशय की पेश की गयी कि ग्राम बोबास की हाल जमाबंदी सम्वत 2074–2077 की खाता संख्या 347 में खसरा नं0 473, 478/2, 483, 484/1 किता 04 कुल रकबा 4.7039 हे0 खातेदार नाबालिक धनेश्वरी पुत्री ओमप्रकाश संरक्षक सरपरस्त माता ममता हि0 1/16 जाति महाजन, नबालिग लोकेश पुत्र ओमप्रकाश संरक्षक सरपरस्त माता ममता हि0 3/16 जाति महाजन सा0 देह वगै0 के नाम खातेदारी दर्ज है। तथा खाता संख्या 348 में खसरा नं0 582 किता 01 रकबा 0.7461 हे0 खातेदार नाबालिक धनेश्वरी पुत्री ओमप्रकाश संरक्षक सरपरस्त माता ममता हि0 1/16 जाति महाजन, नबालिग लोकेश पुत्र ओमप्रकाश संरक्षक सरपरस्त माता ममता हि0 3/16 जाति महाजन सा0 देह वगै0 के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। ग्राम बोबास की नामान्तरण संख्या 1176 दिनांक 02.12.2004 से जरिये फौती नामान्तकरण खातेदारी ओमप्रकाश पि0 राधेश्याम कौम महाजन के बजाय लोकश, तनुज पि0 ओमप्रकाश, धनेश्वरी पुत्री ओमप्रकाश नाबालिक जरिये माता ममता पत्नी ओमप्रकाश व ममता पत्नी ओमप्रकाश महाजन के नाम स्वीकृत नामा0 हुआ है। वादीयान के पहचान पत्रों आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा–10 की अंकतालिका का अवलोकन करने पर पाया कि वादी संख्या 01 का नाम लवीश रावत तथा वादीया संख्या 2 का नाम राधिका रावत दर्ज है। सहखातेदारान व अन्य ग्रामीणों से वाद के संबंध में पूछताछ करने पर

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

पाया कि वादीगणों का नामांतकरण (कौती) उनके नाबालिक होने की अवस्था मे दर्ज कर दिया गया था। नाबालिक होने के कारण बोलचाल के नाम के अनुसार नामांतकरण दर्ज कर दिया गया। जबकि वास्तविक नाम लवीश रावत पिता ओमप्रकाश रावत एवं राधिका रावत पुत्री ओमप्रकाश रावत (पहचान पत्रानुसार) है।

वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में सहखातेदार रामबाबू पुत्र राधेश्याम रावत तथा ममता रावत पत्नि स्व0 ओमप्रकाश रावत के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत शपथ पत्रानुसार उपरोक्त वर्णित आराजीयात वादीगण को उनके पिता स्व0 ओमप्रकाश से विरासत में प्राप्त हुई है। जब विरासत नामान्तकरण खोला गया तब वादीगण नाबालिक थे। वादी संख्या 1 का सही नाम लवीश रावत तथा वादी संख्या 2 का सही नाम राधिका रावत है।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया है। हमने बहस वकील वादीगण पर मनन किया, राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र एवं संलग्न शपथ पत्र, सहखातेदारों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, तहसीलदार जोबनेर की जवाब/मौका रिपोर्ट का आद्योपान्त अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

क्रियात्मक आदेश

वादीगण का वाद बाबत् घोषण, दुरूस्ती नाम अंतर्गत धारा 88 रा0टी0ऐ0 स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम बोबास के विवादग्रस्त खाता संख्या 347 में खसरा नं0 473, 478/2, 483, 484/1 एवं खाता संख्या 348 में खसरा नं0 582 में वादी संख्या 1 का नाम लोकेश पुत्र ओमप्रकाश के स्थान पर लवीश रावत पुत्र ओमप्रकाश तथा वादीया संख्या 2 का नाम धनेशरी पुत्री ओमप्रकाश के स्थान पर राधिका रावत पुत्री ओमप्रकाश दर्ज किए जाने के आदेश दिया जाता है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें। मुताबिक निर्णय तहसीलदार जोबनेर को तहरीर भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिमन्यु सिंह कुन्तल)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)